

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW 226 014

पत्रांक संख्या : पी0जी0आई0 / सम्पत्ति / एच-520 / 1452 / 2023

दिनांक : 11.12.2023

परिपत्र

विषय: टाईप-3 श्रेणी के रिक्त आवास आवंटन का प्रस्ताव

टाईप-3 आवास (नया एवं पुराने परिसर) निदेशक महोदय का अनुमोदन- नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर अन्य संवर्गों के लिए आरक्षित	02,16,19,20,27,30,51,60			
	आवासों पर आरक्षण की स्थिति			
	UR	OBC	SC	ST
	04	04	0	0
नर्सिस फ्लैट्स नं0 (नया परिसर) निदेशक महोदय का अनुमोदन- केवल नर्सिंग संवर्ग हेतु आरक्षित	108,308,403,502,507,508,601,602,603,604,607,702,703,704, 705,707,802,803,804,805,806,808,901,902,903,904,905,906, 907,908,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008			
	आवासों पर आरक्षण की स्थिति			
	UR	OBC	SC	ST
	13	11	12	02

एतद्वारा उपरोक्त रिक्त आवास वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किये जाने हैं। निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है कि नर्सिस फ्लैट्स में रिक्त आवासों को केवल नर्सिंग संवर्ग को ही आवंटित किया जाये। पुराने व नये परिसर में रिक्त आवासों को नर्सिंग संवर्ग को न आवंटित कर केवल अन्य संवर्ग को आवंटित किया जाये।

वर्ष 2023 में भवन आवंटन हेतु आवास नियमावली-2014 के अंतर्गत कार्यालय आदेश पीजीआई / सम्पत्ति / एच-505 / 1121 / 2023 दिनांक 14.06.2023 के माध्यम से वरिष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है। वर्ष 2023 की वरिष्ठता सूची दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक वैध है, में प्रतीक्षारत कर्मियों की अपेक्षा रिक्त आवासों की संख्या अधिक है। उपरोक्त के क्रम में प्रस्तावित किया जाता है कि -

- वर्ष 2023 की वरिष्ठता सूची में उल्लिखित अवशेष नर्सिंग संवर्ग व अन्य संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटन में प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी।
- द्वितीय वरीयता वर्ष 2023 की वरिष्ठता सूची में जो नर्सिंग अधिकारी/कर्मचारी एवं नवनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के नाम सम्मिलित नहीं है वह नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवास आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्व में जो अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त नवनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संस्थान में कार्यभार ग्रहण किये जाने के उपरान्त आवास आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र सम्पत्ति विभाग में प्रस्तुत किया गया था उनको पुनः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त विषयक में वर्णित आवासों का चयन कर आवास पर अपनी सहमति विलम्बतम दिनांक 21.12.2023 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहे। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कृपया इस बात का ध्यान रखें कि एक ही आवास हेतु अधिक कर्मियों के आवेदन प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त बिन्दु सं0 01 को दृष्टिगत रखते हुये एवं वरिष्ठता सूची अनुसार वरिष्ठ कर्मियों को ही आवास आवंटित किया जायेगा। वरिष्ठ कर्मियों के अनिच्छुक होने की दशा में बिना कोई

कमशः2



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW 226 014

-2-

पत्राचार किये उससे कनिष्ठ कर्मियों को भवन आवंटन किया जायेगा।

अग्रेतर यह भी अवगत कराया जाता है कि भवनों का आवंटन निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार अनुमन्यता की सीमा तक ही भवन आवंटन किया जायेगा। साथ ही यदि भवन विशेष के आवंटन हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मियों द्वारा आवेदन किया जाता है उस दशा में वरिष्ठ कर्मी चाहे वह किसी भी श्रेणी का हों, वह भवन विशेष आवंटित किया जायेगा तथा इस संबंध में कनिष्ठ व अनिच्छुक कर्मियों से पत्राचार किये बिना कार्यवाही की जायेगी।

वरिष्ठता सूची संस्थान की वेबसाइट sgpggi.ac.in पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्नक है।


संलग्नक : उपरोक्तानुसार



सम्पत्ति अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों/नोडल अधिकारियों को ई-मेल/ई-आफिस के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त आदेश से अवगत कराने की कृपा करें।
3. अधीक्षण अभियंता(विद्युत)/अधिशाषी अभियंता (सिविल)
4. समस्त नोटिस बोर्ड



सम्पत्ति अधिकारी

